संख्या- 388 /2023/7507/चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को गैर वेतन मद में तृतीय एवं चर्तुथ किश्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-3554/सं0नि0-20(07-एस0एन0ए0)/2020-21 दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ में मुझे यह कहने क निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 215.00 लाख के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 107.50 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(2) स्वीकृति धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के संबंध मे कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी का होगा।

(5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निदेर्शो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ द्वारा आगमी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षो में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।

(8) उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को पूर्व वर्षो में स्वीकृति/अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति धनराशि के व्यय से संबंधित बिल/बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-101-ललित कला शिक्षा-07-उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-7-368-X -2023-24 दिनांक 22.12.2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 388 /2023/7507(1)/ चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- निदेशक, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।